राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
जी–3, राज महल रेजीडेन्सी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, जयपुर
www.lsg.urban.rajasthan.gov.in E-Mail- caodlb@gmail.com Tel/Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक : प.6(ट)(325)लेखा/एसएफसी/दिशा–निर्देश/डीएलबी/2016/14639 दिनांक :– 20.12.16

–ः परिपत्र ः–

विषयः– पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत मूल एवं कार्य निष्पादन अनुदान के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश।

विभाग द्वारा राज्य की नगरीय निकायो को पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत राशि का आवंटन वर्ष 2015 से 2020 तक किया जावेगा। आयोग द्वारा अपनी द्वितीय अन्तरिम रिपोर्ट वर्ष 2016–17 में निकायो को हस्तान्तरण हेतु सिफारिश संख्या 51 की है। आयोग की सिफारिश के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा समस्त नगरीय निकायो को राशि का हस्तान्तरण किया जावेगा। जिसका उपयोग निम्नानुसार किया जावेः–

01. राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली कुल राशि मे से 75 प्रतिशत राशि का उपयोग आधारभूत एवं विकास कृत्यों यथा स्वच्छता जिसमें सेप्टैज प्रबंधन शामिल है, सीवरेज, जल निकासी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाईट, स्थानीय निकायों की सड़कों एवं फुटपाथों, पार्कों, मैदानों तथा कब्रिस्तान एवं शमशान स्थलों का रख–रखाव जैसी मूलभूत सेवाओं पर किया जावे। नगरीय निकायो में सीधे रूप से सफाई एवं सेनिटेशन के कार्यो से जुड़े हुये सफाई कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी के बिलों का भुगतान केवल अन्तरिम आधार पर ही भी किया जा सकेगा। साथ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस अनुदान राशि का प्रयोग कदापि किसी प्रकार के नये पद सृजन हेतु नहीं किया जा सकेगा। भारत सरकार द्वारा संचालित स्मार्ट सिटी परियोजना, अमृत परियोजना एवं अन्य परियोजना में गेप–फण्डिंग, हेतु निकाय अंशदान के रूप में इस राशि को उपयोग में लिया जा सकेगा।
02. राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली कुल राशि का 20 प्रतिशत राशि का उपयोग राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता स्कीमों के लिए "जल स्वावलम्बन अभियान" को प्रथम प्राथमिकता के साथ निम्न सारणी 6 में सूचीबद्ध किसी भी क्रियाकलाप के लिये राष्ट्रीय/राज्य प्राथमिकता स्कीमों के लिए किया जावे :–

सारणी 6 : राष्ट्रीय और राज्य प्राथमिकता स्कीम

(क) मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान/वृक्षारोपण (शहरी)
(ख) प्रौद्योगिकी/ई–गवर्नेंस डाटा बेस
(ग) पेयजल/आर.ओ. प्रणाली
(घ) अग्निशमन सेवाएं
(ड.) स्वच्छ भारत अभियान/खुले में शौच से मुक्त नगर/शहर
(च) सोलर/एल.ई.डी. लाईट
(छ) लिंग संवेदनशीलता – बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
(ज) मुकदमेबाजी से मुक्त नगर/शहर

03. राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली 5 प्रतिशत कार्य निष्पादन अनुदान हेतु पात्रता मापदण्ड एवं उपयोगिता के दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जावेगे।
04. निकाय द्वारा व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निम्न प्रारूप में विभाग में प्रस्तुत किया जावेः–

(राशि लाखों मे)

क्र. सं.	मद	गत वर्ष तक कुल व्यय	चालू वर्ष में व्यय राशि	आदिनांक तक कुल व्यय (3+4)
1	2	3	4	5
(अ)	आधारभूत एवं विकास कार्यो पर व्यय–			
1	पेयजल आपूर्ति			
2	सेनिटेसन			
3	ठोस कचरा प्रबन्धन			
4	सीवरेज			
5	सड़क एवं फुटपाथ			

6	सार्वजनिक रोशनी			
7	कब्रिस्तान एवं श्मशान			
8	उद्यान			
9	वर्षा जल निकासी			
	केन्द्रीय योजनाओं में गेप–फण्डिंग हेतु निकायो द्वारा अंशदान–			
10	स्मार्ट सिटी परियोजना हेतु			
11	अमृत सिटी परियोजना हेतु			
12	अन्य योजना (योजना का नाम अंकित करते हुये)			
	योग (अ)			
(ब)	**राष्ट्रीय महत्व की योजनाओ एवं प्रशासन के मानको में सुधार पर व्यय –**			
1	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान			
2	वृक्षारोपण			
3	प्रौद्योगिकी / ई–गवर्नेस डाटा बेस			
4	पेयजल / आर.ओ. प्रणाली			
5	अग्निशमन सेवाएं			
6	स्वच्छ भारत अभियान / खुले में शौच से मुक्त नगर / शहर			
7	सोलर / एल.ई.डी. लाईट			
8	लिंग संवेदनशीलता – बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ			
9	मुकदमेबाजी से मुक्त नगर / शहर			
	योग (ब)			
	योग (अ+ब)			

प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है की उपयोगिता प्रमाण पत्र में वर्णित राशि का व्यय पंचम राज्य वित्त आयोग के दिशा निर्देशानुसार ही किया गया है।

अतः पंचम राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त राशि का वित्त आयोगो की सिफारिश के अनुसार केवल उक्त गतिविधियों में ही उपयोग किया जावे। यदि किसी निकाय द्वारा उक्त आदेशों के विपरीत व्यय किया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जा सकती है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ट)(325)लेखा / एसएफसी / दिशा–निर्देश / डीएलबी / 2016 / 14840–54 दिनांक :– 20-12-16

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय / आर्थिक मामलात) विभाग, राज0 जयपुर।
05. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) / (लेखा परीक्षा प्रथम / द्वितीय) राज0 जयपुर।
06. सदस्य सचिव, पंचम राज्य वित्त आयोग, प्रथम तल, बी ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर।
07. जिला कलेक्टर, जयपुर / जोधपुर / कोटा / बीकानेर / अजमेर / उदयपुर / भरतपुर।
08. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
09. महापौर / सभापति / अध्यक्ष, नगर निगम / परिषद / पालिका समस्त राजस्थान।
10. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर / जोधपुर / कोटा / बीकानेर / अजमेर / उदयपुर / भरतपुर
11. समस्त आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / परिषद / पालिका राजस्थान।
12. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
13. प्रभारी ई–गवर्नेस / समन्वयक, सीएमएआर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(हुलास राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी